

DRDO की मशिन मोड परियोजनाओं पर कैग की रपिर्ट

हाल ही में **भारत के नयित्तरक और महालेखापरीक्षक (CAG)** ने एक रपिर्ट जारी की है जिसमें **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** के **मशिन मोड (MM) परियोजनाओं** की अवधति तथा लागत में वृद्धि को चहिनति कया गया है।

- MM परियोजनाओं को DRDO द्वारा वशिषिट उपयोगकर्त्ता आवश्यकताओं और उनके पूरा होने के लयि नशिचति समयसीमा के आधार पर उच्च प्राथमकता के साथ शुरू कया जाता है।
 - ये परियोजनाएँ उन तकनीकों पर नरिभर करती हैं जो पहले से उपलब्ध एवं प्रमाणति हैं तथा DRDO या भारत के भीतर या वदिश से अल्प सूचना पर आसानी से उपलब्ध हैं।

रपिर्ट के मुख्य बदि:

- समग्र परियोजना प्रबंधन में अक्षमताएँ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि, परियोजनाओं के प्रत्याशति लाभों का अधिक मूल्यांकन और रपिर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कई उदाहरण सामने आए हैं।
- सफल परियोजनाओं के उत्पादन में वलिंब के मुद्दे रहे हैं जो ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने के उद्देश्य को ही वफिल कर देते हैं।
- इस तथ्य के बावजूद कि अंतरनहिति प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण MM परियोजनाओं में बहुत उच्च परिणाम नशिचतिता है, DRDO द्वारा ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत और मंजूरी में काफी देरी हुई थी।
- 178 परियोजनाओं में से 119 में मूल समय-सारणी का पालन नहीं कया जा सका।
 - 49 मामलों में अतरिकित समय वास्तव में मूल समयसीमा के 100% से अधिक था।
- वलिंब का परास 16 से 500% तक था और इसमें कई बार वसितार कया गया था।
- जनवरी 2010 और दसिंबर 2019 के दौरान सफल घोषति 86 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं में एक या अधिक प्रमुख उद्देश्य/मापदंड प्राप्त नहीं हुए थे।
 - परियोजना प्रस्ताव के सभी प्रमुख उद्देश्यों/मापदंडों को प्राप्त करने के लयि समय बढ़ाने की मांग के बजाय इन परियोजनाओं को सफल मान कर बंद कर दया गया।
- DRDO और सेवाओं के बीच तालमेल की कमी भी थी, जिसके परिणामस्वरूप गुणात्मक आवश्यकताओं, वतिरण और उपयोगकर्त्ता परीक्षणों के परिणामों को लेकर अलग-अलग वचिार थे। इसने MM परियोजनाओं की समग्र सफलता दर को प्रभावति कया।

CAG:

- भारत के नयित्तरक और महालेखापरीक्षक (CAG) भारत के संवधिान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
- यह भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा वभिाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।
- इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य वधिानसभाओं के लयि सरकार एवं अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनशिचति की जाती है तथा यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है।
- एक बार CAG के पद से सेवानवृत्त होने/इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता।
- अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है।
 - CAG से संबंधति अन्य प्रावधानों में शामिल हैं: अनुच्छेद 149-151 (कर्तव्य और शक्तियाँ, संघ एवं राज्यों के खातों का प्रपत्र तथा लेखापरीक्षा रपिर्ट), अनुच्छेद 279 (शुद्ध आय की गणना आदी), तीसरी अनुसूची (शपथ या प्रतजिज्ञान), छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मजिोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन)।

DRDO

- परिचय :
 - DRDO रक्षा मंत्रालय का रक्षा अनुसंधान एवं विकास वगि है, जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना है।
 - आत्मनरिभरता व सफल स्वदेशी विकास एवं सामरिक प्रणालियों तथा प्लेटफॉर्मों जैसे- अगन और पृथ्वी शंखला मसिाइलों के उत्पादन की इसकी खोज जैसे- हलके लड़ाकू वभिान, तेजस: बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर, पनाका: वायु रक्षा प्रणाली, आकाश: रडार और इलेक्ट्रॉनिक

युद्ध प्रणालियों की एक वसिस्त शृंखला आदि ने भारत की सैन्य शक्त को प्रभावशाली नरीध पैदा करने तथा महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में प्रमुख योगदान दिया है।

■ DRDO के वभिन्न कार्यक्रम:

○ एकीकृत नरिदेशति मसिइल वकिस कार्यक्रम (IGMDP):

○ यह मसिइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रक्षा बलों को आत्मनरिभर बनाने हेतु डॉ. एपीजे अबदुल कलाम के प्रमुख कार्यों में से एक था।

○ IGMDP के तहत वकिसति मसिइलें हैं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग।

○ मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट ससि्टम (MARS):

• MARS लैंड माइन्स और इनरट एक्सप्लोसिव डविाइसेज़ (Inert Explosive Devices- IEDs) को संभालने के लिये एक स्मार्ट मज़बूत रोबोट है जो भारतीय सशस्त्र बलों से शत्रुओं को दूर कर नषिकरिय करने में मदद करता है।

• कुछ एड-ऑन के साथ इस प्रणाली का उपयोग वसतु के लिये ज़मीन खोदने और वभिन्न तरीकों से इम्प्रवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डविाइस को डफ़ियूज़ करने हेतु भी कयिा जा सकता है।

○ लददाख में सबसे ऊँचा स्थलीय केंद्र:

• लददाख में DRDO का केंद्र पैंगोंग झील के पास चांगला में समुद्र तल से 17,600 फीट ऊपर है, जसिका उद्देश्यप्राकृतिक और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये एक प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज इकाई के रूप में कार्य करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष का प्रश्न

????????

प्रश्न. भारत में यह सुनश्चिति करने के अलावा कसि सार्वजनिक नधियों का उपयोग कुशलतापूर्वक एवं उनके इच्छति उद्देश्य के लिये कयिा जाता है, नयित्त्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) के कार्यालय का क्या महत्त्व है? (2012)

1. जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल/वतितीय आपातकाल की घोषणा करता है, उस समय CAG संसद की ओर से राजकोष पर नयित्त्रण रखती है।
2. मंत्रियों द्वारा परयिोजनाओं या कार्यक्रमों के नषिपादन पर CAG रपिर्ट पर लोक लेखा समतिद्वारा चर्चा की जाती है।
3. CAG रपिर्टों की जानकारी का उपयोग जाँच एजेंसियों द्वारा उन लोगों के खलिाफ आरोपों को दबाने के लिये कयिा जा सकता है जनिहोंने सार्वजनिक वतित का प्रबंधन करते समय कानून का उल्लंघन कयिा है।
4. सरकारी कंपनियों के ऑडिट और अकाउंटिंग से नपिटने के दौरान CAG के पास कानून का उल्लंघन करने वालों के खलिाफ मुकदमा चलाने की कुछ न्यायिक शक्तियाँ हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है / हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर : (c)

??????

प्रश्न. “नयित्त्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” समझाएँ कयिह उसकी नयिक्तिकी पद्धति और शर्तों के साथ-साथ उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे परलिक्षति होती है? (2018)

प्रश्न. संघ एवं राज्यों की लेखाओं के संबंध में नयित्त्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये कयिा सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नयित्त्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारति का अतिक्रमण करना होगा या नहीं। (2016)

[स्रोत : द हट्टि](#)

